झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,बुधवार,दिनांक– 26 फाल्गुन, 1942 (श0) / 17 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
518.	पथ–62	श्री दशरथ गागराई	पदों का सृजन करना।	पथ निर्माण	10.03.21
519.	ग्राम–14	श्री मनीष जायसवाल	कर्मियों को लाभ देना।	ग्रामीण विकास	24.02.21
520.	पथ–50	श्री विकास कुमार मुंडा	निर्माण कार्य पूरा करना।	पथ निर्माण	04.03.21
521.	ग्राम–22	श्री किशुन कुमार दास	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
522.	पेय–07	श्री भानु प्रताप शाही	मिस्त्री का पदस्थापन।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
523.	परि–03	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	जिला मुख्यालय से जोड़ना।	परिवहन	26.02.21
524.	पथ–46	श्री अनन्त कुमार ओझा	प्रशासनिक स्वीकृति दिलाना।	पथ निर्माण	03.03.21
525.	ग्राम–71	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
526.	न–33	श्री सुदिव्य कुमार	गोलम्बर का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	10.03.21
527.	पथ–57	श्री उमा शंकर अकेला	सड़कों का निर्माण।	पथ निर्माण	06.03.21
528.	पेय–19	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
529.	पथ–18	श्री अमित कुमार यादव	नियम में सुधार।	पथ निर्माण	04.03.21
530.	पथ–56	श्री रणधीर कुमार सिंह	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	06.03.21

01	02	03	04	05	06
531.	ग्राम-21	डॉ० इरफान अंसारी	संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	26.02.21
532.	पेय-06	श्री अनन्त कुमार ओझा	कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का समायोजन।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
533.	ग्राम-33	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
534.	न-15	श्री भानु प्रताप शाही	विश्वस्तरीय शहर का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
535.	न-34	श्री इन्द्रजीत महतो	मुफ्त कनेक्शन देना।	नगर विकास एवं आवास	10.03.21
536.	पथ-15	श्री विनोद कुमार सिंह	पथ का सुदृढ़ीकरण।	पथ निर्माण	24.02.21
537.	न-11	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पेयजल योजना प्रारंभ कराना।	नगर विकास एवं आवास	26.02.21
538.	न-31	श्री समरी लाल	रोड कालीकरण करना।	नगर विकास एवं आवास	06.03.21
539.	पथ-31	श्री केदार हजरा	निविदा प्रकाशित करना।	पथ निर्माण	26.02.21
540.	ग्राम-80	श्री सोनाराम सिंकू	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	07.03.21
*541.	ग्राम-70	श्री कमलेश कुमार सिंह	विद्यालय भवनों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	03.03.21
542.	ग्राम-73	श्री उमा शंकर अकेला	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	04.03.21
543.	न-27	सुश्री अम्बा प्रसाद	नगर पंचायत से हटाना।	नगर विकास एवं आवास	03.03.21
544.	पथ-49	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पथ का चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	04.03.21
545.	ग्राम-56	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
546.	ग्राम-65	सुश्री अम्बा प्रसाद	संविदाकर्मियों का मानदेय बढ़ाना।	ग्रामीण विकास	03.03.21
547.	ग्राम-23	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
548.	पेय-10	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पेयजल समस्या से निजात दिलाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
549.	पथ-10	श्री निरल पुरती	सड़क का जीर्णोद्धार।	पथ निर्माण	24.02.21
550.	पथ-54	श्री सोनाराम सिंकू	मुआवजा राशि का भुगतान।	पथ निर्माण	06.03.21
551.	न-29	श्री वैद्यनाथ राम	एजेंसी पर कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	04.03.21
552.	ग्राम-79	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पथों का मजबूतीकरण।	ग्रामीण विकास	06.03.21
*553.	न-32	श्री नवीन जायसवाल	विस्थापितों को आवास देना।	नगर विकास एवं आवास	06.03.21
554.	ग्राम-03	श्री बिरंची नारायण	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	17.02.21
555.	पेय-27	डॉ० नीरा यादव	जलमीनार का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	03.03.21
556.	पथ-58	श्री इन्द्रजीत महतो	अधूरे पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	08.03.21
557.	पेय-26	श्री कमलेश कुमार सिंह	प्रोन्नति देना।	पेयजल एवं स्वच्छता	04.03.21

कृ०पृ०30/-

*-541- ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक: 564, दिनांक: 05.03.2021 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

*-555- नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक: 957, दिनांक: 07.03.2021 के द्वारा [illegible] विभाग [illegible] पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
558.	न-06	श्री बिरंची नारायण	कचड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.21
559.	ग्राम-82	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	दंडात्मक कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	10.03.21
560.	ग्राम-36	श्री नलिन सोरेन	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.02.21
561.	ग्राम-25	श्री किशुन कुमार दास	सड़क का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	26.02.21
562.	ग्राम-57	डॉ0 लम्बोदर महतो	लम्बित राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	26.02.21
563.	ग्राम-52	डॉ0 इरफान अंसारी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	26.02.21
564.	न-24	श्री लोबिन हेम्ब्रम	नगर पंचायत से जोड़ना।	नगर विकास	01.03.21
565.	ग्राम-81	श्रीमती पुष्पा देवी	प्रखण्ड बनाना।	ग्रामीण विकास	08.03.21
566.	पथ-60	श्री अमित कुमार मंडल	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	10.03.21
567.	पथ-47	श्री आलोक कुमार चौरसिया	प्राक्कलन की स्वीकृति देना।	पथ निर्माण	03.03.21
568.	पथ-11	श्री निरल पुरती	सड़क का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	24.02.21
569.	ग्राम-54	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	अभ्यर्थियों की नियुक्ति।	ग्रामीण विकास	26.02.21
570.	पथ-59	श्री अमित कुमार मंडल	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	10.03.21
571.	ग्राम-83	डॉ0 लम्बोदर महतो	पुल-पुलियों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	10.03.21
572.	पेय-28	श्री अमित कुमार यादव	अनियमितता की जाँच।	पेयजल एवं स्वच्छता	10.03.21
573.	पेय-25	श्रीमती पुष्पा देवी	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.21
574.	ग्राम-78	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का सुदृढ़ीकरण।	ग्रामीण विकास	06.03.21
575.	पथ-61	श्री आलोक कुमार चौरसिया	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	पथ निर्माण	10.03.21
576.	न-30	श्री राज सिन्हा	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	06.03.21
577.	न-09	श्री मनीष जायसवाल	समय सीमा का निर्धारण।	नगर विकास एवं आवास	24.02.21
578.	पथ-55	श्री रणधीर कुमार सिंह	पथ की मरम्मति।	पथ निर्माण	06.03.21

राँची,
दिनांक- 17 मार्च,2021(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020......1308......................./वि0स0,राँची,दिनांकः-14/3/21

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-04/2020.......1308........./वि0स0,राँची,दिनांकः-14/3/21

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमश माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0-(प्रश्न)-04/2020.......1308........./वि0स0,राँची,दिनांकः-14/3/21

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा,आश्वासन समिति शाखा,प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान-सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

13.03.2021

राजेन्द्र/-

(518)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–62" का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग के राज्यादेश संख्या–2323, दिनांक 29.03.2008 द्वारा राज्य के नव सृजित जिलों यथा–रामगढ़, सरायकेला–खरसावां एवं सिमडेगा पथ प्रमण्डल के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2015–16 में उपरोक्त तीनों नवसृजित पथ प्रमण्डलों को अस्थायी से स्थायी कर दिया गया, परन्तु विभाग द्वारा अन्य स्थायी पथ प्रमण्डलों की तरह इन नवसृजित पथ प्रमण्डलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मी का पद सृजन अबतक नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–6161 दिनांक–26.08.2015 के द्वारा पथ प्रमण्डल, रामगढ़, सरायकेला–खरसावाँ एवं सिमडेगा की स्थापना अंतर्गत कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों का स्थायीकरण किया गया है। विभागीय राज्यादेश सं0–2323 दिनांक–29.03.2008 के अनुसार उक्त प्रमण्डलों में तृतीय वर्ग के पद यथा–प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, पत्राचार लिपिक, विपत्र लिपिक तथा रोकड़पाल के पद पूर्व से ही सृजित हैं। जबकि अन्य पद यथा–स्टेनो–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर, कैड ऑपरेटर, शोध सहायक, अमीन, जीप चालक, अनुसेवक तथ प्रयोगशाला सेवक के पदों को वाह्य स्रोत पर कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित पथ प्रमण्डलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों की सृजन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–65/2021 1036(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1208 दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–65/2021 1036(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–65/2021 1036(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि : श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(519)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–14 का उत्तर प्रतिवेदन

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में स्तर 05 से लेकर 08 तक सैकड़ों कर्मी एक निर्धारित मानदेय पर कार्यरत है।	**स्वीकारात्मक** झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत वर्तमान में संचालित सभी परियोजनाओं के अंतर्गत स्तर 5 से स्तर 8 के बीच कुल 2672 कर्मी झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की स्वीकृत मानव संसाधन नियमावली के अंतर्गत पद के अनुरूप निर्धारित मासिक मानदेय पर कार्यरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों को मानव संसाधन नियमावली अंर्तगत प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर महँगाई भत्ता देने का प्रावधान है, जो विगत 03 वर्षो से नहीं दी गई है तथा उक्त कर्मियों को मानदेय पर नियुक्त करने के कारण उक्त कर्मी अपने परिवार का भरण–पोषण सुचारु रुप से नही कर पाते है।	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत कर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति जे0एस0एल0पी0एस0 के कार्यकारिणी समिति द्वारा दी जाती है। स्तर 5 से 8 के कर्मियों को वेतन वृद्धि दिनांक–8 फरवरी'21 को आयोजित झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की 28वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया है। यह वेतन वृद्धि स्तर 5 से स्तर 8 के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के लिए अप्रैल, 2020 से प्रभावी है।
3.	क्या सह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों से सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत EPF में अंशदान की कटौती की गई राशि का भुगतान नहीं की जाती है जिससे उक्त कर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत 3 वर्षीय अनुबंध पर कार्यरत सभी कर्मियों का भविष्य निधि अंशदान की कटौती करके नियमित रुप से कर्मियों के भविष्य के लिए जमा किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों की सेवा 60 वर्ष सुनिश्चित करते हुये खण्ड–02 में वर्णित नियमावली में निहित प्रावधान अंतर्गत सभी लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक– JSLPS/NRLM/HRD/ज्ञा०वि०स०/2021/235 919 दिनांक – 09·03·2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–629 दिनांक–27.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियो के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/2021

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– JSLPS/NRLM/HRD/झा०वि०स०/2021/235 919 दिनांक – 09-03-2021

प्रतिलिपि:– मा० मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मा० मंत्री संसदीय कार्य के प्रधान आप्त सचिव/मा० मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

09/3/2021

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– JSLPS/NRLM/HRD/झा०वि०स०/2021/235 919 दिनांक – 09-03-2021

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 (विधायी कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

09/3/2021

सरकार के संयुक्त सचिव ।

570

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–50" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है रॉंची जिले के तमाड़–प्रखण्ड अन्तर्गत रड़गाँव से कुचाई तक सड़क का निर्माण कई वर्षों से चल रहा है जो निविदा में दी गई शर्तों के विपरीत है ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ निर्माण में विलम्ब होने का कारण बताने के साथ–साथ पथ का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ,खरसावां–हुरंगदा–रायजामा–कान्दरबूटी–रड़गांव (लंबाई–29.41 कि०मी०) पथ निर्माण विभाग की पथ है। जिसके दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013 में संवेदक के साथ एकरारनामा कर कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना कार्य हेतु कुल 21.73 एकड़ रैय्यती भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के मद्देनजर अधियाचित राशि जिला भू–अर्जन कार्यालय, सरायकेला–खरसावां को उपलब्ध करा दी गई है। भू–अर्जन की कारवाई प्रक्रियाधीन है। भू–अर्जन की बाधा के मद्देनजर कार्य प्रभावित हुआ है। वर्तमान में 94% प्रगति हासिल की जा चुकी है, शीघ्र अवशेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–55/2021 1026(S) रॉंची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक 930दिनांक04.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–55/2021 1026(S) रॉंची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, रॉंचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–55/2021 1026(S) रॉंची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

ह० 16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री किशुन कुमार दास, माननीय सं0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखंड के चौपे बड़गाँव से पकरार तक 9 कि0मी0 के क्षेत्र में सड़क नहीं है, जो दो जिलों को जोड़ती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि मयूरहंड प्रखण्ड के गदामोड़ नरचाही से पेटाबेरी तक पथ नहीं है ;	अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में सड़क नहीं रहने के कारण वहाँ के हजारों व्यापारियों, गरीब किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विवेचित पथ के पथांश चतरा जिला अन्तर्गत अनगड़ा से महाने नदी भाया मिडिल स्कूल चौपे जिसकी लंबाई 6.40 कि0मी0 है की स्वीकृति वर्ष 2019–20 में प्रदान की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अवशेष पथांश के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–83/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 690 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–422 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–83/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 690 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–83/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 690 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21

सरकार के उप सचिव।

522.

माननीय स०वि०स० श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या पेय०–07 का उत्तर:–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री निथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर –
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश के हर प्रखण्ड मुख्यालय में पहले चापाकल मरम्मति के लिए PHED विभाग के मिस्त्री सहित जरूरत के अन्य सामग्री उपलब्ध रहते थे;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में प्रखण्ड मुख्यालय से PHED विभाग के मिस्त्री को हटाकर जिला मुख्यालय में कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः प्रखण्ड मुख्यालय में चापाकल मिस्त्री के लिए एवं जरूरत के अन्य सामग्रियों सहित मिस्त्री को पदास्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्यभारित स्थापना के कर्मियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण कार्यरत बल में काफी कमी आई है। पूर्व में प्रखंडों में कार्यरत नलकूप मिस्त्री एवं नलकूप खलासी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके स्थान पर बाह्य प्रशिक्षित मिस्त्री एवं खलासी से कार्य कराया जा रहा है। प्रखंड के मिस्त्री/ खलासी को जिला मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित नहीं किया गया है। विभागीय मिस्त्री/खलासी के अंदर ही बाह्य मिस्त्री/खलासी का गैंग बनाकर, मरम्मति की सभी सामग्री को उपलब्ध कराकर, नियमित मरम्मति कार्य कराई जाती है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:–02/वि०स०–03/2021 983 राँची, दिनांक:– 16/3/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 409 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में (तारांकित प्रश्न संख्या पेय०–07) 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021

(मुकुल कुमार भगत)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–02/वि०स०–03/2021 983 राँची, दिनांक:– 16/3/21

प्रतिलिपि:–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र०– 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021

(मुकुल कुमार भगत)
सरकार के संयुक्त सचिव

(523)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–17–03–2021 को श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–03 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्ता *श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह* माननीय स०वि०स०		*उत्तरदाता* श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत महागामा, मेहरमा तथा ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के युवाओं को शिक्षण कार्य एवं ग्रामीणों को अन्य कई कार्यों के लिए 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;	–	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि परिवहन की कोई सरकारी सुविधा नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;	–	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन प्रखण्डों से जिला मुख्यालय तक निजी परमिटधारी बस/ऑटो आदि यात्री वाहन की सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्ड से जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर परिवहन सुविधा बहाल कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	सम्प्रति जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर परिवहन सुविधा बहाल करने हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। परिवहन विभाग निजी वाहन मालिकों को अपेक्षित परमिट निर्गत करने हेतु सदैव प्रवृत्त है।

9/3/21
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–40/2021 281 /राँची,दिनांक 09.03.2021।

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–530, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–40/2021 281 /राँची,दिनांक 09.03.2021।

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

524

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–46" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जानेवाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि तीनपहाड़–धनबनियाँ के मध्य L.C.No-47 (C) परR.O.B. (Road Over Bridge) के निर्माण कार्य हेतु रू0 93,94,54,204/– मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात एप्रोच पथ के निर्माण हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;	प्रश्नगत ROBका निर्माण स्वीकृत परियोजना है। प्रथम चरण में परियोजना अंतर्गत भू–अर्जन हेतु अधियाचित राशि, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को उपलब्ध करायी जा चुकी है एवं लगभग 45 प्रतिशत रैय्यतों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। रेलवे में लागू नियम के अनुसार भूमि के हस्तानान्तरण के पश्चात ही रेलवे द्वारा कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाती है। प्रश्नगत मामले में भूमि–अधिग्रहण की कारवाई प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज पश्चिमी रेलवे फाटक L.C.No-82 B/TR.O.B. निर्माण हेतु नक्शा अनुमोदित होने के बाद कार्य की स्वीकृति अप्राप्त है;	साहेबगंज पश्चिमी रेलवे फाटक LC No. 82B/Tपर R.O.Bनिर्माण कि योजना के निमित्त Combined GADकी स्वीकृति रेलवे द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा DPRतैयार कर रेलवे मुख्यालय को भेजा जा चुका है।
3. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज स्टेशन–सकरीगली के मध्य L.C.No-56 T पर R.O.B. (Road Over Bridge) निर्माण हेतु रेलवे और विभाग के मध्य 50:50 आधार पर सैद्धांतिक सहमति के बाद निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकी है;	साहेबगंज स्टेशन–सकरीगली के मध्य LCNo. 56Tपर R.O.Bनिर्माण के सन्दर्भ में मार्ग रेखांकन का चयन दिनांक–19.02.2021 को–संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त निर्धारित कर लिया गया है। वर्तमान में यह LC, NH-80 पर अवस्थित है, जिसका स्वामित्व NHAI के अधीन है। ROBके निर्माण की दिशा में अग्रेत्तर कारवाई, इस खण्ड का हस्तानान्तरण पथ निर्माण विभाग को प्राप्त होने के उपरांत किया जाएगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) वर्णित R.O.B.का अविलम्ब निविदा प्रकाशित कर निर्माण कराने खण्ड–(2) में वर्णित R.O.B.एवं खण्ड (3) में वर्णित R.O.B. निर्माण हेतु General Arrangement Drawing(GAD) तैयार करने सहित डी०पी०आर० तैयार कर तकनीकि व प्रशासनिक स्वीकृति अविलम्ब दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त रूप से कारवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता0प्र0–51/2021 1022(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 901 दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता0प्र0–51/2021 1022(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता0प्र0–51/2021 1022(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(525)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–71 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड लेस्लीगंज अन्तर्गत ग्राम–कुदरी अम्बेडकर चौक से पिपरा होते हुए भाया बाँसदोहर, गेठा, नावाडीह होते हुए एरुवा तक 17 कि०मी० सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क करीब पचास गाँव के ग्रामीणों का जिला मुख्यालय पहुँचने का एकमात्र सड़क है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05 (वि०स०–12)–97 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) 653 राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–910, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–97 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०म 653 राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–97 / 2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा 653 राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

525

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–33 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह शहर की जनसंख्या बढ़ने के कारण बाबा अम्बेडकर चौक के समीप जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चौक के समीप निबंधन कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालय एवं आवास बने हुए है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहर के सौंदर्यीकरण हेतु बाबा अम्बेडकर चौक के समीप के सभी सरकारी कार्यालय एवं आवास अन्यत्र स्थानांतरित कर वहाँ गोलम्बर का निर्माण करा कर जाम से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अंबेडकर चौक के समीप अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय एवं आवास अन्यत्र भवन का निर्माण कर इन्हें स्थानांतरित किए जाने पर अत्यधिक समय एवं अत्यधिक सरकारी राशि व्यय होगा। पुनः उक्त चौक पर वर्त्तमान में गोलम्बर के निर्माण से जाम की समस्या बढ़ने की संभावना है। अतः इस चौक पर आमजन को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु इसके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०म०प्र०–06(ता०प्र०)/2021/न०वि०आ० 1090 राँची, दिनांक :–16/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–1205 दिनांक–10.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-03-2021

सरकार के अवर सचिव।

(527)

श्री उमाशंकर अकेला, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–57" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला चौपारण एन0एच0–02 महुदी मोड़ से चतरा जिला के सिवाल करमा पी0डब्लू0डी0 रोड तक 20 कि0मी0, चौपारण प्रखण्ड एन0एच0–2 चौथी मोड़ से चतरा जिला पचमो मोड़ तक 20 कि0मी0, चौपारण प्रखण्ड कठम्बा मोड़ से अम्बातरी ग्राम तक 15 कि0मी0, बरही प्रखण्ड के एन0एच0–2 हरिजन स्कूल से गुड़ियो बिजौया, कोल्हुआकला, तिलैया बस्ती डैम तक 20 कि0मी0, पदमा प्रखण्ड के एन0एच0–33 रोमी बंगाल, बिहारी बुण्डू, किलिर करमा सुजी, पाण्डेय होटल एन0एच0–33 तक 20 कि0मी0 एवं कोडरमा जिला चन्दवारा प्रखण्ड एन0एच0–31 चन्दवारा, पूर्णाधाम, महधाडीह होते हुए रेमोकरमा, डोमा पहाड़ी होते हुए दृन्दा स्कूल पी0डब्लू0डी0 पथ 20 कि0मी0 सड़क का निर्माण REO द्वारा कराया गया था जो अत्यन्त जर्जर स्थिति में है;	प्रश्नगत् पथ, (i) महुदी मोड़ से करमा चौक पथ भाया मानगढ़, कोइली, सदाफर, फुलाग, पथरा पथ। (ii) NH-2 चैथी मोड़ से चतरा जिला के पचमो मोड़ तक पथ। (iii) कठम्बा मोड़ से अम्बातरी ग्राम तक पथ।(iv)हरिजन स्कूल से बेलादोहर, विजईया, गुड़िया, बदिया जवाड़, बाराडीह, कोल्हुआ, करगलो, बेला, चैदा बिगहा तथा तिलैया बस्ती होते हुए तिलैया डैम तक पथ,सभी पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सड़कों का निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग से कराने का विचार रखतीहै, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–60/2021 1031(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1011 दिनांक 06.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–60/2021 1031(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–60/2021 1031(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

528

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 19 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड पांकी, तरहसी, मनातु तथा लेस्लीगंज में भूगर्भीय जल श्रोत का घोर अभाव है;	प्रश्नांकित प्रखण्डों में जलापूर्ति एवं भूगर्भीय जल की स्थिति निम्न है :–

क्र०	प्रखण्ड	Average Water Level (फरवरी 2021)
1.	पांकी	11.00 M
2.	तरहसी	10.90 M
3.	मनातु	11.20 M
4.	लेस्लीगंज	11.80 M

2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा आम ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अनेकों ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जिला के संबंधित पदाधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण उक्त वर्णित क्षेत्रों के ग्रामीण जनता को अन्यत्र दूरस्थ स्थलों से अशुद्ध पेयजल ढो कर लाना पड़ता है;	कंडिका– 01 में जलापूर्ति की स्थिति स्पष्ट की गयी है। इसके अतिरिक्त लेस्लीगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना को चालू कर पेयजलापूर्ति की जा रही है तथा पांकी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है। वर्णित प्रखण्डों में स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र०	प्रखण्ड	जनसंख्या	चालू नलकूप	चालू लघु ग्रा०जला०यो०
1.	पांकी	157850	1731	17
2.	तरहसी	81297	900	19
3.	मनातु	46856	713	21
4.	लेस्लीगंज	100222	1442	20

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार अमानत नदी में इंटेक वेल बनाकर वृहद ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण कराकर आम जनता तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अमानत नदी में इंटेक वेल बनाकर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए परामर्शी का चयन कर डी०पी०आर० निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7 / ता०प्र०– 01–151 / 2020– 986 राँची, दिनांक :– 16/3/21
प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–922, दिनांक–03.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7 / ता०प्र०– 01–151 / 2020– 986 राँची, दिनांक :– 16/3/21
प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव / अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

16.03.2021

529

श्री अमित कुमार यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–48" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में डिप्लोमाधारी अभियंता को कनीय अभियंता के रूप में नियुक्ति करते समय स्नातक अभियंताओं को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पड़ोसी राज्य बिहार एवं छत्तीसगढ़ में कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु केवल डिप्लोमाधारी की ही अनुमान्यता रखी गई है ;	विभागीय पत्रांक–984(S), 985(S), 986(S) दिनांक– 13.03.2021 द्वारा क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से अद्यतन प्रवृत्त नियम/परिनियम/ नियमावली की मांग की गई है।
3. क्या यह बात सही है कि कनीय अभियंता की नियुक्ति में विशेषकर संविदा के आधार पर डिप्लोमाधारी अभियंताओं के साथ–साथ डिग्रीधारी अभियंताओं को परीक्षा में शामिल किये जाने के कारण डिप्लोमाधारी अभियंताओं का चयन शून्य के बराबर हो जाता है, जिससे राज्य में डिप्लोमाधारी छात्र–छात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगार रह जाते है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि डिप्लोमा योग्यताधारियों को भी आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कनीय अभियंता की नियुक्ति में राज्य के डिप्लोमा छात्र–छात्रों को शामिल किये जाने हेतु नियम में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली– 2013 एवं "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015" तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली–2019 में निहित शैक्षणिक योग्यता के आलोक में कनीय अभियंता की नियुक्ति की जाती है। पड़ोसी राज्यों द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् सम्यक् विचारोपरांत इस पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2021 1024(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 931 दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–53/2021 1024(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–53/2021 1024(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

ह०/– 16/3

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(530)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–56" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि चितरा से उपरबन्धा पालाजोर भाया फतेहपुर पथ का निर्माण नहीं होने से आम जनता को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है;	प्रश्नगत पथ अंतर्गत (i)चितरा से उपरबन्धा पथ, (लंबाई–5.50 कि0मी0), ECL (Eastern Coal Field Ltd.) के स्वामित्व की पथ है। (ii)उपरबन्धा से फतेहपुर (लंबाई लगभग–11.345 कि0मी0), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के स्वामित्व की पथ है। अग्रिम योजना (Advance Planning) के आलोक में विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है। उपरोक्त (ii) में वर्णित उपरबन्धा से फतेहपुर पथ (लंबाई–11.345 कि0मी0), जो ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है, की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त D.P.R मुख्यालय में स्वीकृति हेतु लम्बित है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष–21–22 में कराना चाहतीहै, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59/2021 1030(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1012 दिनांक 06.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59/2021 1030(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59/2021 1030(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(531)

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० डॉ0 इरफान अंसारी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–21 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत रामकृष्ण मठ से कचनबेड़ा होते हुए रामपुरचक ग्रामीण पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य 2002–03 में स्वीकृत किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप समय पर कार्य पुरा नहीं किया गया एवं अभियंता प्रमुख के आदेशानुसार कार्य को वर्ष–2012 में नियम विरूद्ध बंद कर दिया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संबंधित संवेदक को काली सूची में डालते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	संवेदक का एकरारनामा विखंडित करते हुए अन्य कोई कार्य आवंटित करने पर रोक लगायी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–111 / 2021 ग्रा0का0मा0 688 राँची / दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, ज्ञा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–423, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–111 / 2021 ग्रा0का0मा0 688 राँची / दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–111 / 2021 ग्रा0का0मा0 688 राँची / दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

(532)

माननीय श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न पेय०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर–
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अंतर्गत केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मिशन के तहत प्रथम फेज में प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों को द्वितीय फेज में कार्य करने हेतु समायोजित नहीं किया जा रहा है, बल्कि नये सिरे से बाह्य स्त्रोतों का चयन कर किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से मानव बल तैनात करने की योजना बनायी जा रही है?	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मिशन के निर्देशिका के अनुसार SBM(G) के कार्य योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अनुबंध पर आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति का निदेश है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशिका पर विचार–विमर्श किया जा रहा है, अभी तक पुराने कर्मियों को हटाये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि देश के अन्य राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन कर्मी जो पूर्व में प्रथम चरण के लिए कार्यरत है, उनको ही द्वितीय चरण में समायोजित कर कार्य लिया जा रहा है?	इस संबंध में कोई सम्पुष्ट सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के मार्गदर्शिका के क्रमांक–37 एवं 38 के कंडिका 8.4 एवं 8.5 तथा 8.6 में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों को ही उक्त पद पर तैनात किया जाना चाहिए?	आंशिक स्वीकारात्मक है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक–37 एवं 38 के कंडिका 8.4 एवं 8.5 तथा 8.6 में यह उल्लेखित है कि प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पूर्व से कार्यरत परामर्शियों जिनका कार्य निष्पादन रिकार्ड अच्छा रहा है, को पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य में प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर द्वितीय चरण में पूर्व से कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों का समायोजन करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित निर्देशिका एवं उपलब्ध बजट के आलोक में राज्य सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक SBM(G)/वि०स० तारांकित प्र०-40/2021-180 दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 410 वि.स. दिनांक 26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2021
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक,
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक SBM(G)/वि०स० तारांकित प्र०-40/2021-180 दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि: सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2021
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक,
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(533)

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–33 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड–काठीकुण्ड एवं प्रखण्ड रामगढ़ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा आमलोगों का पेशा खेती व मजदूरी है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड काठीकुण्ड से ग्राम–कड़विधा प्रखंड रामगढ़ तक लगभग 22 K.M पथ का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है .	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के क्षेत्र में 50 पचास से अधिक गाँव/टोला अवस्थित है तथा आम अवाम को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–काठीकुण्ड से ग्राम–कड़विधा प्रखण्ड रामगढ़ तक लगभग 22 k.M. पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि काठीकुण्ड प्रखण्ड से रामगढ़ प्रखण्ड के ग्राम कड़विधा तक पथ के पथांश काठीकुण्ड से चकमुहा तक पथ जिसकी लंबाई 12 कि०मी० है जिसका प्राक्कलन PMGSY-III अन्तर्गत तैयार किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। शेष पथांश में मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–112/2021 ग्रा0का0मा0 682 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–425, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–112/2021 ग्रा0का0मा0 682 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–112/2021 ग्रा0का0मा0 682 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21

सरकार के अवर सचिव।

(534)

श्री भानू प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–15 का उत्तर –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि पलामू, चाईबासा, गढ़वा तथा गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, देवघर जिला को मिलाकर 25–हजार करोड़ रूपये की लागत से दो वृहत विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा;	प्रश्नगत घोषणा के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार गठन के 01–साल बीत जाने के बाद भी घोषणा पर राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार पलामू, चाईबासा, गढ़वा एवं गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, देवघर जिला को मिलाकर 25–हजार करोड़ रूपये की लागत से दो वृहत विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः– 5/न०वि०/तारांकित–12/2021...1088..... राँची, दिनांक :– ...16/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–539 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल
16-03-2021
सरकार के अवर सचिव।

535

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या न०–34 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा दिनांक–31.12.2020 को निर्गत आदेश के आलोक में धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वासियों को व्यावसायिक भवन रेसिडेंसियल आवास एवं वाटर कनेक्शन शुल्क में बेतहाशा वृद्धि कर दिया गया है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
पूर्व में जल संयोजन शुल्क एवं वर्तमान में लागू जल संयोजन शुल्क निम्नवत है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="4">वर्तमान में लागू जल संयोजन शुल्क की राशि (रू० में)</th><th>पूर्व में जल संयोजन शुल्क की राशि (रू० में)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">आवासीय उपभोक्ता</td><td>BPL</td><td colspan="2">APL</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">नि:शुल्क</td><td>Up to 1000 sqft</td><td>7000</td><td rowspan="4">(i) 500–4000 रूपये
(i) BPL - नि:शुल्क</td></tr>
<tr><td>1001 to 3000 sqft</td><td>14000</td></tr>
<tr><td>3001 to 5000 sqft</td><td>28000</td></tr>
<tr><td>Above 5000 sqft</td><td>42000</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता</td><td>Built-up area (BA)</td><td>26 Rs. /sqft</td><td>1000–10000</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">वाणिज्यिक उपभोक्ता</td><td>Built-up area (BA)</td><td>26 Rs. /sqft</td><td>1000–6000</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">औद्योगिक उपभोक्ता</td><td>Built-up area (BA)</td><td>26 Rs. /sqft</td><td>1000–10000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में सभी कार्य DMFT फंड एवं नगर वासियों के पैसों से विकास कार्य होते है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों में केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य योजना एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि का उपयोग भी किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि दिनांक–31.12.2020 से पूर्व BPL धारी को मुफ्त वाटर कनेक्शन एवं सामान्य निवासियों को कम वाटर कनेक्शन चार्ज देने का प्रावधान था;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House Hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में अधिकतम 4000/– रूपये (One time) Charge के रूप लिया जाता था तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन शुल्क नि:शुल्क था।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के वासियों को पूर्व की भांति वाटर चार्ज एवं BPL धारी को मुफ्त वाटर कनेक्शन देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–1 से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन का नि:शुल्क प्रावधान किया गया है।
आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं गरीबी शहरी नागरिकों को वित्तीय बोझ न पड़े इसके लिए जल संयोजन नि:शुल्क रखा गया है। केवल उन्हीं परिवारों से जल संयोजन शुल्क लिया जा रहा है, जो वित्तीय बोझ वहन करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त वर्त्तमान में क्रियान्वित अधिकांश नई जलापूर्ति की योजनाओं में गृह संयोजन को योजना के अन्तर्गत रखा गया है। नागरिकों को सबल बनाना एवं शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आमजनों को इससे फायदा पहुँचें।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 08 / तारा० / 13 / 2021 न०वि०आ० 1023 राँची, दिनांक :– 16/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–1204 दिनांक–10.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कोशल
16-03-2021
सरकार के अवर सचिव।

536

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–15" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी में डुमरवा–कोयरीडीह लिंक पथ 8K.M एवं सरिया में चिचाकी–कोयरीडीह लिंक पथ 7 KM बगोदर, सरिया व बिरनी प्रखण्ड को आपस में जोड़ती है, साथ ही जिला मुख्यालय को भी जोड़ती है ;	प्रश्नगत् पथ, (i) डुमरवा–कोयरीडीह लिंक पथ। (ii) चिचाकी से कोयरीडीह लिंक पथ, दोनों पथ ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त लिंक पथ कोदाड–कोडरमा PWD पथ, सरिया–नारायणपुर PWD पथ, हेसला बेको PWDपथ, NH-02 राष्ट्रीय पथ एवं गया–कोलकोता रेलवे लाईन से चिचाकी स्टेशन को भी आपस में जोड़ती है ;	पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डुमरवा–कोयरीडीह ग्रामीण पथ 8KM एवं चिचाकी कोयरीडीह पथ 7KMको PWD के तहत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 1020(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 273 दिनांक24.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 1020(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–15/2021 1020(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

537

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–11 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर नगर परिषद् अन्तर्गत रेहला कला तथा विश्रामपुर पेयजल आपूर्ति योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया है परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे नगर परिषद् की जनता को बाहर से पेयजल टैंकर से मंगाकर पीना पड़ता है क्योंकि ABCL फैक्ट्री के कारण इस क्षेत्र का भू–गर्भ जल क्षारीय हो गया है;	विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना हेतु DPR विश्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं मानकों पर तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ विश्व बैंक के मानकों के अनुसार पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के आकलन हेतु सर्वे कर आवश्यक दस्तावेज यथा Environmental & Social Impact Assessment Report, Resettlement Plan, Environmental Impact Assessment, Environmental & Social Management Plan इत्यादि तैयार करवाया जा रहा है। विश्व बैंक के अनुमोदन के उपरान्त राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए प्रस्तावित DPR के आधार पर यथाशीघ्र निविदा प्रकाशित की जाएगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त लंबित पेयजल योजना को शीघ्र प्रारंभ करा कर पूर्ण करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/ता०प्र०–09/2021/न०वि०आ० 912 राँची, दिनांक :– 08/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–537 वि०स० दिनांक–26.02.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2021
सरकार के उपसचिव।

58

श्री समरी लाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–31 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बरियातु और मोरहाबादी को मिलाने वाली महत्वपूर्ण सड़क "हरिहर सिंह रोड" है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हरिहर सिंह रोड का निर्माण अव्यवस्थित तरीके से किया गया है, जगह–जगह गडढ़े हैं, रोड के बीच में पाईपलाईन है जो कई जगह टूटी हुई है, ड्रेनेज की व्यवस्था सही नहीं है एवं रोड के दोनों किनारों को समतल नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया था एवं भारी वाहनों के अनवरत आवागमन एवं वाटर सप्लाई के लिकेज के कारण यह एक दो स्थानों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त पथ में आवागमन की असुविधा नहीं है एवं इसके नीचे Sewerage एवं Drainage हेतु पाईप लाईन का कार्य किया गया है, जो सही अवस्था में है।
3.	क्या यह बात सही है कि हरिहर सिंह रोड में हनुमान मंदिर, मोरहाबादी के निकट रोड के किनारे नालियों को ढँका नहीं गया है, जिसके कारण अकसर दुर्घटना होती रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नाली का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए संवेदक को चयन कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आमलोगों के हित एवं सुविधा के लिए उक्त रोड को सुव्यवस्थित करने एवं कालीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त पथ का कालीकरण शहरी परिवहन मद से कराया जाना प्रस्तावित है एवं राँची नगर निगम को शहरी परिवहन मद में स्वीकृत्यादेश संख्या–68 दिनांक–09.11.2020 के माध्यम से राशि आवंटित कर दी गई है। उक्त पथ के कालीकरण हेतु विभागीय पत्रांक–1059 (अनु०) दिनांक–15.03.2021 के द्वारा निदेश भी दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 5/न०वि०/वि०स० तारांकित–23/2021 1071 राँची, दिनांक :– 16/03/21

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–1007 दिनांक–06.03.2021 के के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के उप सचिव।

(539)

श्री केदार हजरा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–31" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि जमुआ कोडरमा मुख्य पथ से कोदमबरी भोजपुरो, अस्को पथ निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2011–12 में ही दी गयीथी; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पथ के निर्माण कार्य के लिए भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा मुआवजा के रूप में स्थानीय ग्रामीणों में करीब 19 करोड़ रुपया भी वितरित की जा चुकी है ; 3. क्या यह बात सही है कि मुआवजा के वितरण होने के पश्चात् भी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की अकुशलता के कारण खण्ड–1 में निहित पथ का निविदा नहीं निकाली गई है ; 4. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; 5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोदमबरी भोजपुरो अस्को पथ का निविदा निकालते हुए पथ निर्माण कार्य में विलंब करने वाले कर्मचारी एवं पदाधिकारी पर समुचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की परियोजना हेतु वर्ष 2012 में रू0 29,94,45,000/–(उनतीस करोड़ चौरानबे लाख पैंतालिस हजार) की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके द्वारा रू0 19.15 करोड़ जिला भू–अर्जन कार्यालय को दिनांक–31.03.2013 तकभू–अर्जन हेतु उपलब्ध कराया गया था। परन्तु भू–अर्जन कार्यालय द्वाराभू–अर्जन एवं मकान (Structure) हेतु कुल रू0104.45 करोड़ की मांग की गयी है। इस प्रकार भू–अर्जन की वर्द्धित राशि के संदर्भ में विभाग द्वारा पुनः समीक्षा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–31/2021 1021(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 418दिनांक26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–31/2021 1021(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–31/2021 1021(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

540

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री सोनाराम सिंकू द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–80 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री सोनाराम सिंकू, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के कुन्द्रीझोर से कसिरा तथा तोडांगहातु से सियालजोड़ा एवं नोवामुण्डी प्रखण्ड के जेटेया से डुमरजोवा तक जेटेया से बम्बासाई आदि ग्रामीण सड़कों का निर्माण 10 (दस) वर्ष पूर्व की गयी है, जिसकी भौतिक स्थिति खराब होने के बावजुद इनकी मरम्मति अथवा पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) के उक्त सड़कों पर आवागमन करने वाले ग्रामीणों को बरसात के दिनों में जगन्नाथपुर अनुमण्डल मुख्यालय आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–1 में वर्णित सड़कों की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–110/2021 ग्रा०का०मा० 687 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियाँ में उनके ज्ञापांक–1054, दिनांक–07.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–110/2021 ग्रा०का०मा० 687 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–110/2021 ग्रा०का०मा० 687 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

(541)

599
16/03/2021

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–70

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में 07.82 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, मेदिनीनगर द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय के 06 तथा परियोजना उच्च विद्यालय के 08 विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन की प्राक्कलित राशि 68.101 लाख रुपये तथा परियोजना उच्च विद्यालय भवन की प्राक्कलित राशि 62.15 लाख रुपये थी;	स्वीकारात्मक। सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 12/यो–07/200/2593 दिनांक 31.10.2008 के अनुसार – (i) नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु0 68.10 लाख थी, जिसमें G+1 (भूतल तथा प्रथम तल) का निर्माण किया जाना था। भूतल निर्माण पर 41.00 लाख का व्यय निर्धारित था। (ii) इसमें 2007–08 में 14.00 लाख तथा 2008–09 में 27.141 लाख, कुल 41.141 लाख रुपये विमुक्त किया गया था। इस राशि से वर्ष 2008–09 में मात्र भूतल का निर्माण करने का आदेश था। (iii) परियोजना उच्च विद्यालयों के G+1 (भूतल तथा प्रथम तल) भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु0 62.15 लाख में से 2007–08 में 26.00 लाख तथा 2008–09 में 36.15 लाख संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि वर्णित सभी 12 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 15.02.2021 तक अपूर्ण रहने के कारण संबंधित विद्यालय के छात्रों का पठन–पाठन कार्य बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। • इन 12 विद्यालयों में कुल 8120 छात्र–छात्रा नामांकित हैं। इन नामांकित छात्र–छात्राओं के लिए कुल 151 कमरे पठन–पाठन के लिए उपलब्ध हैं। वर्तमान में इन्हीं उपलब्ध कमरों में पठन–पाठन का कार्य चल रहा है। • भवन निर्माण कार्य में संलग्न कार्यकारी एजेंसी के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निदेश से भिन्न जाकर भूतल की जगह भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया, जिससे निर्माण कार्य कुछ स्थानों पर अधूरा है। कुल 12 विद्यालयों में से नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय में से 03 विद्यालय तथा 01 परियोजना उच्च विद्यालय, कुल 04 चार स्थानों पर कार्य पूर्ण है। • 06 नव उत्क्रमित विद्यालय में से दो नव उत्क्रमित विद्यालय चक एवं सिलदिलिया का निर्माण राज्य सरकार के भूतल तक निर्माण कराने के निदेश के अनुरूप पूरा हो चुका है एवं एक नव उत्क्रमित

		उच्च विद्यालय रन्नेभेरी का निर्माण प्रथम तल पूरा हो जाने के कारण इसका भुगतान भी किया जा चुका है। • 06 परियोजना उच्च विद्यालय के लिए संपूर्ण प्राक्कलित राशि राज्य सरकार द्वारा निर्माण एजेंसी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल को उपलब्ध कराया जा चुका है। राशि उपलब्ध होने के बाद भी मात्र एक विद्यालय परियोजना उच्च विद्यालय, कुन्दरी का कार्य पूरा कराया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी 12 विद्यालय भवनों को पूर्ण नहीं कराने के दोषी अधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करते हुए सभी विद्यालय भवनों को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित मामले के विभिन्न कोण, जिसमें दायर न्यायिक वाद भी है, के आधार पर विभाग द्वारा जिला से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–62/2021 599 राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–73 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड में रानीधुवां पंचायत के ग्राम धोबघाट, नरसिंघवा, पिंडवा, परसातरी में आजादी के बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि इन सभी गाँव में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते है ;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि समुन्द्र तल से 10 कि०मी० उपर पहाड़ी पर स्थित उक्त ग्रामवासी घोर अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त गाँवों में सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से प्राथमिकता पर अनुशंसा प्राप्त होने पर, विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–102/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......651...... राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–933 दिनांक–04.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–102/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......651...... राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–102/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......651...... राँची, दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

543

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–27 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नवगठित टण्डवा अंचल–1 के पंचायत किचटो, बचरा उत्तरी, बचवा दक्षिणी जो आजतक बड़कागांव विधान–सभा क्षेत्र एवं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्राधीन है के ग्रामीण नवगठित अंचल टण्डवा 1 में शामिल करने का पूर्व से विरोध करते आ रहे हैं, जो आजतक आन्दोलनरत हैं ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त चतरा से प्राप्त पत्रांक–747 दिनांक–13.03.2021 के अनुसार नवगठित अंचल टण्डवा को लेकर वर्तमान में किसी तरह का विरोध/धरना प्रदर्शन की सूचना नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों के द्वारा नगर पंचायत में शामिल करने के विरोध में आपत्ति दर्ज करने के बाद भी गलत तरीके से उक्त पंचायतों को टण्डवा–1 में किया जा रहा है जहाँ मुलभूत सुविधाओं का अभाव है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–6593 दिनांक–18.10.2017 द्वारा बचरा नगर पंचायत गठन हेतु निर्गत प्रारूप आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव आलोच्य अवधि (एक माह) में प्राप्त नहीं हुए। तत्संबंधी सूचना उपायुक्त, चतरा के पत्रांक–14 दिनांक–23.01.2018 द्वारा विभाग को प्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवगठित अंचल टण्डवा 1 में शामिल किए गए पंचायतों किचटो, बचरा उत्तरी एवं दक्षिणी को जनहित में नगर पंचायत में सम्मिलित न करते हुए पूर्व की तरह यथावत ग्रामीण क्षेत्राधीन रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–2115 दिनांक–17.04.2018 द्वारा गठित बचरा नगर पंचायत में दो पंचायत क्रमशः बचरा उत्तरी अंश एवं बचरा दक्षिणी तथा एक राजस्व ग्राम यथा–बचरा शामिल है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08/तारा०/11/ 2021 न०वि०आ० 1073 राँची, दिनांक– 16/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–925 दिनांक–17.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के उप सचिव।

544

श्रीमती पुर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–49" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अन्तर्गत झरिया–बलियापुर (लगभग 11.45 किलोमीटर लंबी) मुख्य पथ का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, धनबाद के पास है, जिसमें से झरिया स्टेशन के पास 0.00–कि0मी0 से 3.10–किलोमीटर पथ का मरम्मति हेतु अस्थाई हस्तांतरण, बी0सी0सी0एल0, बस्ताकोला क्षेत्र सं0 IX, झरिया, धनबाद को किया गया है ;	प्रश्नगत पथ, झरिया–बलियापुर (लंबाई–11.45 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग की पथ है। पथ निर्माण विभाग अंतर्गत उपलब्ध अंश (8.35 कि0मी0) की आवश्यक मरम्मति वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में कराई गयी है। भूमिगत कोयला के माइनजर भारत कोकिंग कोल लि0 को पथ का 3.10 कि0मी0 अंश वर्ष 2010–11 में इस शर्त साथ दिया गया था कि आवागमन को सुचारू रखने हेतु Diversionका निर्माण तथा मरम्मति BCCLद्वारा कराया जाएगा। BCCLके द्वारा 0.0 से 3.10 कि0मी0 पथांश हेतु डायवर्सन निर्माण/अनुरक्षण कार्य इस पथांश के अग्नि प्रभावित होने के कारण नहीं किए जाने पर मामला को आगे बढ़ाने (to pursue the matter) हेतु विभाग के पत्रांक–2249(s)we, दिनांक–20.09.2020 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से अनुरोध किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि झरिया स्टेशन के पास (0.00–कि0मी0 से 3.10–कि0मी0) पथ का मरम्मति कार्य बी0सी0सी0एल0 बस्ताकोला क्षेत्र सं0 IX, झरिया द्वारा नहीं किए जाने के कारण पथ अत्यंत ही जर्जर हो गयी है तथा आमजनों सहित दोपहिया वाहन चालक अक्सर सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित 0.00–कि0मी0 से 11.45–किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–54 / 2021 1025(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 932 दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–54 / 2021 1025(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–54 / 2021 1025(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

545.

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–56 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड निरसा अंतर्गत ग्रा०–भागाबांध पंचायत भागा बांध के भागा बांध मोड़ से भागा बांध गाँव तक 2.5 कि०मी० मिट्टी मोरम पथ अत्यंत ही जर्जर हो गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भागाबांध मोड़ से भागा बांध गाँव तक 2.50 कि०मी० पथ के 800 मीटर पथांश कच्चा है। शेष पी०सी०सी० क्षतिग्रस्त है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ से आम लोगों एवं छात्र–छात्राओं को पैदल जाने में तथा साईकल एवं वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में उपरोक्त पथ में जल जमाव से आवागमन बाधित व दुर्घटनाएँ भी होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–82/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......602...... राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–542 दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि०स०–12)–82/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......602...... राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि०स०–12)–82/2021 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......602...... राँची, दिनांक 09.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/21

सरकार के उप सचिव।

546

दिनांक– 17.03.2021 को सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम– 65 का उत्तर प्रतिवेदन।

तारांकित प्रश्न	सरकारी वक्तव्य
1. क्या यह बात सही है कि योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) का संकल्प संख्या–12/एस0–विविध (पत्रा0)–11/14– 1965/वि0, दिनांक– 02.06.2017 में राज्य सरकार के कर्मियों को अनुमान्य 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/कोषागार/उपकोषागार एवं राज्य के अन्य क्षेत्रिय कार्यालय में नियत संविदा राशि/एकमुश्त नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंट्री ऑपरेटर को देय एकमुश्त राशि की अभिवृद्धि का निर्णय लिया गया है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) इस संकल्प के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इण्ट्री ऑपरेटर को एकमुश्त/संविदा राशि प्रतिमाह (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में) 28000 रू0 एवं अन्य कार्यालय में एकमुश्त/संविदा राशि प्रतिमाह– 26300 रू0 का भुगतान की स्वीकृति दी गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत नियुक्त सभी संविदा कर्मियों का मानदेय वित्त विभाग के उक्त पत्रांक के आलोक में बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय निर्धारण के बिन्दु पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 01– स्था0–वि0स0– 02/2021/980 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–12.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–904 दिनांक–03.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 01– स्था0–वि0स0– 02/2021/980 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक–12.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीया सदस्य विधान सभा, सुश्री अम्बा प्रसाद के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रशाखा– 3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.21
सरकार के अवर सचिव।

(547)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के ऊँटारी प्रखण्ड अंतर्गत गवरलेखा ग्राम के जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वहाँ दो सौ घर आदिम जनजाति के लोग निवास करते है;	स्वीकरात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में पहाड़ पर जाने के लिए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे वहाँ के निवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकरात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊँटारी रोड विद्युत सब–स्टेशन से ग्राम गवरलेखा तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05 (वि0स0–12)–87 / 2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 652 राँची, दिनांक 12.03.2021
प्रतिलिपि– उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–426, दिनांक– 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–87 / 2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0म 652 राँची, दिनांक 12.03.2021
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–87 / 2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा 652 राँची, दिनांक 12.03.202]
प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/21
सरकार के उप सचिव।

548.

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 10 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत पलारपुर में बारबेंदिया जलापूर्ति योजना जलापूर्ति बंद है;	स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि बरवेंदिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण दिनांक– 11.04.2011 को पूर्ण कराकर जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गयी थी जिससे भागाबांध, पलारपुर, पांड्रा पूर्व एवं उपचुड़िया पंचायतों में जलापूर्ति की जा रही थी। निविदा की शर्त्तों के अनुसार 02 वर्ष की संचालन एवं सम्पोषण की अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार VWSC को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु हर संभव प्रयास किया गया परन्तु VWSC द्वारा handover नहीं लेने के कारण योजना बंद हो गयी। इसके उपरान्त विभाग द्वारा पुनः दिनांक– 10.02.2018 से 13.09.2019 तक योजना से जलापूर्ति प्रारंभ की गयी एवं पुनः VWSC को हस्तानान्तरित करने का भरपूर प्रयास किया गया परन्तु अबतक VWSC द्वारा उसका handover नहीं लिया गया है। फलतः योजना से जलापूर्ति बंद है। वर्त्तमान में विभाग द्वारा इस योजना के क्षतिग्रस्त तकनीकी अवयवों (यथा बिजली के केबुल एवं मोटर पम्प आदि) की मरम्मति हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राक्कलन प्राप्त कर बंद जलापूर्ति को चालू कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जलापूर्ति योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2008–09 में 449.91 –लाख रूपये की राशि से शुरू कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति योजना बंद होने से विशाल पहाड़ी बारबेंदिया, रतनपुर, मीना बाजार, बेलडांगा, पतकोरिया, कृष्णकनाली, तुलसी मीठा, हरिहरपुर, उपचुरिया, बरवाडीह, गांगपुर, बस्ती–पहाड़ी गाँव/टोले के लोगों को पेयजल के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है;	प्रश्नांकित ग्रामों में जलापूर्ति की स्थिति निम्न है:–

क्र०	गाँव/टोला	जनसंख्या (2011)	चालू नलकूपों की संख्या	अन्य जलापूर्ति योजना
1.	विशालपहाड़ी	670	07	
2.	बरवेंदिया	447	08	
3.	रतनपुर	1259	15	
4.	मीना बाजार	220	10	
5.	बेलडांगा	241	09	
6.	पतकोरिया	447	06	
7.	कृष्णकनाली	375	04	
8.	तुलसीमीठा	652	09	
9.	हरिहरपुर	670	14	
10.	उपचुड़िया	2503	26	06 सोलर आधारित लघु ग्रा०जला०यो०
11.	बरवाडीह	264	13	
12.	गांगपुर	797	08	01 विद्युत चालित लघु ग्रा०जला०यो०
13.	बस्तीपहाड़ी	66	01 लघु ग्रा०जला०यो० निर्मित है।	01 पाईप ग्रा०जला०यो०

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आने वाले भीष्म गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति योजना को चालू कर संबंधित गाँवों के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–146/2020– 984 राँची, दिनांक :– 16/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–535, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

200
15/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–146/2020– 984 राँची, दिनांक :– 16/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

200
15/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

15.03.2021

549

श्री निरल पुरती, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–10" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि हाटगम्हरिया से बलण्डिया, मझगाँव होते हुए बेनीसागर तक सड़क अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण आम जन–जीवन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ;	प्रश्नगत पथ, हाटगम्हरिया– बेनीसागर–भाया मझगाँव पथ (लंबाई–44.485 कि0मी0), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। इस पथ पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष, 2020–21 में आवश्यक मरम्मति कराई गई है तथा भविष्य में निधि की उपलब्धतानुसार पथ की आवश्यक मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जाएगा।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखतीहै, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 1019(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 276दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3/2021

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 1019(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/3/2021

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10/2021 1019(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3/2021

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(250)

श्री सोनाराम सिंकू, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–54" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत दक्षिणी कोल्हान क्षेत्र में क्रमशः 1. जैतगढ़ से मझगाँव 2. हाटगम्हरिया मुख्य पथ से बेनीसागर 3. बलान्डिया चौक से मझगाँव 4. सिंहबोखरिया से कुमारडुँगी एवं 5. उकुगुटू से मझगाँव सड़क के चौड़ीकरण में वित्तीय वर्ष–2012–13 को कई रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया है;	वर्ष 2010 से 2015 के बीच पथ प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत प्रश्नगत परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अंतर्गत आवश्यक भू–अर्जन हेतु समुचित प्रावधान किया गया था। जिसके लिए अप्रत्याशित वृद्धि के साथ पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जो समीक्षाधीन है। तदनुरूप स्वीकृति उपरान्त भू–अर्जन मुआवजा हेतु राशि का उपबन्ध किया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण होने के बावजूद मूल रैयतों को अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मूल रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2021 1028(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1010 दिनांक 06.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

16/3

सरकार के अवर सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2021 1028(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

16/3

सरकार के अवर सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2021 1028(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

557

श्री वैद्यनाथ राम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले ताराांकित प्रश्न संख्या–न०–29 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार शहरी क्षेत्र जलापूर्ति योजना जुडको के द्वारा करायी जा रही है, यह जलापूर्ति योजना मार्च, 2017 में प्रारंभ की गयी थी एवं इस योजना की प्राक्कलित राशि–32,62,34,839/– रू० (बत्तीस करोड़ बासठ लाख चौंतीस हजार आठ सौ उन्नचालीस रू० मात्र) है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति योजना का कार्य प्राक्कलित राशि के अनुसार नहीं कराया जा रहा है, अब तक योजना पर 22,57,48,988/– रू० (बाईस करोड़ सनतावन लाख अड़तालीस हजार नौ सौ अठासी रू० मात्र) का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें भारी अनियमितता है;	अब तक योजना पर 28,52,81,102/– रूपये का भुगतान संवेदक को किया जा चुका है। योजना का कार्य प्राक्कलन के अनुसार, एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप कराया जा रहा है। कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना की जाँच कराते हुए दोषी एजेन्सी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऊपर वर्णित कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/वि०स०/ता०प्र०–21/2021/न०वि०आ० 1083 राँची, दिनांक :– 16-03-21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–926 वि०स० दिनांक–04.03.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
सरकार के संयुक्त सचिव।

552.

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–79 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रखण्ड माण्डू पंचायत–करमा उत्तरी एवं दक्षिणी के अधीन कोयला उद्योग संचालित है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होते रहता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि (1) करमा मेन रोड से फोरलेन बूढ़ाखाप तक तथा (2) करमा दक्षिणी सुगिया स्कूल से रामगढ़ कोर्ट भाया दामोदर पुल तक के पथ की स्थिति अति जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटनायें होते रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त पथों को कालीकरण एवं मजबुतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग अन्तर्गत पड़ने वाले पथांश की मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर, विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–103/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....683....राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1013 दिनांक–06.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–103/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....683....राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–103/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....683....राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21

सरकार के उप सचिव।

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 न0–32 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि हटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुटे, आनी, मुड़मा, लाबेद एवं तिरिल में वर्षों से रह रहे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के अन्तर्गत निर्मित नये आवास पूरी तरह से बनकर तैयार है इसके बावजूद अभी तक यहाँ के विस्थापितों को आवास नहीं सौंपा गया है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार एवं विस्थापितों के बीच बनी सहमति के आधार पर विस्थापितों को घर शिफ्टिंग के दौरान सहायता राशि उपलब्ध कराने, विस्थापितों के बच्चों को उचित शिक्षा मुहैया कराने, विस्थापितों को नवनिर्मित विधान सभा एवं सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी में प्राथमिकता देने एवं उचित मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य सरकार एवं विस्थापितों के बीच, घर शिफ्टिंग के दौरान सहायता राशि उपलब्ध कराने एवं विस्थापितों के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराने हेतु उक्त परिसर में विद्यालय के निर्माण पर सहमति बनी थी । परन्तु विस्थापितों को नवनिर्मित विधानसभा एवं सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी में प्राथमिकता देने एवं उचित मुआवजा देने पर कोई सहमति/आश्वासन नहीं दिया गया था ।
3. यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विस्थापितों के लिए बनकर तैयार आवास को सौंपने एवं सहमति के आधार पर तय किये सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	छः महीने के अन्दर क्रमांक–2 में वर्णित सहमति के आधार पर विस्थापितों को पुनर्वासित कर दिया जाएगा ।

13/03/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकर
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक 320 (यो0) / राँची, दिनांक 13/03/2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/2021
सरकार के अवर सचिव

(554)

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री बिरंची नारायण द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–03 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो के कुर्रा से कुरमा पथ, बालीडीह थाना मोड़ से धरमपुरा पथ तथा एन०एच०–32 कालापत्थर पानी टंकी मोड़ से चेचकाधाम जोरिया ग्रामीण सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है और विगत 10 वर्षों में इन 3 ग्रामीण सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों ग्रामीण सड़कों के किनारे घनी आबादी निवास करती है और जर्जर सड़क के कारण आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं तथा आम जनता को काफी परेशानी होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तीनों ग्रामीण सड़कों का मरम्मत कार्य करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन तीनों पथ PMGSY-III के प्रस्तावित सूची में सम्मिलित है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–63 / 2021 ग्रा0का0मा0 663 राँची / दिनांक– 15.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–69, दिनांक–17.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–63 / 2021 ग्रा0का0मा0 663 राँची / दिनांक– 15.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–63 / 2021 ग्रा0का0मा0 663 राँची / दिनांक– 15.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

355

श्रीमती डॉ० नीरा यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–27 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद, झुमरीतिलैया क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति का घोर अभाव है, जिसके कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयाँ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु 1.50 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाली जल मीनार का प्राक्कलन प्रस्ताव की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित नहीं की जा सकी है;	झुमरीतिलैया नगर परिषद अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु 150.04 करोड़ रूपये की परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, जिसमें इंटेक वेल, जलशोध संयंत्र (WTP), जल मीनार एवं Distribution Network भी शामिल है। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित नगर परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु अविलम्ब निविदा प्रकाशित कर जल मीनार निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	ऊपर वर्णित कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/वि०स०/ता०प्रा०–22/2021/न०वि०आ० 1084   राँची, दिनांक :– 16/03/21

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–928 वि०स० दिनांक–04.03.2021के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल
16-03-2021
सरकार के अवर सचिव।

556

श्री इन्द्रजीत महतो, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–58" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद गोविन्दपुर मुख्य पथ भूईफोड़ मोड़ से बिनोद बिहारी महतो हिरक चौक बलियापुर भाया बड़ादाहा झारखण्ड आंदोलन के प्रणेता स्व० बिनोद बिहारी महतो के जन्म स्थल होते हुए राजाबस्ती, गोशाला ओ०पी० चौक सिंदरी झरिया मुख्य पथ तक बीच में बड़ादाहा रघुनाथपुर मौजा में लगभग तीन किलोमीटर पथ अधूरी है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरे पथ का निर्माण के साथ–साथ वर्णित संपूर्ण सड़क को चार लेन कराने का विचार रखतीहै, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथांश, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। पथांश के स्वामित्व का विधिवत् हस्तान्तरण के पश्चात् सम्भाव्यता सर्वेक्षण तथा निधि की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–61/2021 1032(S) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1094दिनांक08.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–61/2021 1032(S) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–61/2021 1032(S) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–26 का उत्तर :– 557

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई स्थानों पर वर्ष 2013–14 से ही सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता का कार्य लिया जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे सभी सहायक अभियंताओं को 6–7 वर्ष पूर्व ही प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी, परंतु वे आज भी सहायक अभियंता का ही वेतनमान् पा रहे हैं।	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं के रूप में कार्य कर रहे सभी सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–2376 दिनांक–12.04.2016 द्वारा झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2016 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के प्रावधानुसार पथ निर्माण विभाग नोडल विभाग है एवं वर्तमान में उक्त नियमावली के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है। नियमावली के संदर्भ में मा0 न्यायालय में दायर WPS No. 3027/2016 अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–17.08.2017 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के नोडल विभाग पथ निर्माण विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी। पथ निर्माण विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि प्रसंगाधीन वाद के आलोक में सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के बिन्दु पर नियमावली संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली में यथोचित संशोधन के उपरांत ही आलोच्य प्रोन्नति पर कार्रवाई की जा सकेगी। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–6752 दिनांक–24.12.2020 द्वारा अगले आदेश तक सभी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति पर रोक लगायी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:–1/वि०स०–08–1002/2021 911 राँची, दिनांक– 9/3/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–929 दिनांक–04.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/2021

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

598

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–06 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र और चास नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग 80–85 टन कचड़ा उत्पन्न होता है, जिसे एकत्रित कर सेक्टर–6 एवं सेक्टर–11 के बीच फेंका जा रहा है, जिसे वहाँ पर जला दिया जाता है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है और इससे बदबू एवं प्रदूषण फैल रहा है, जिससे आस–पास के लोगों को कई तरह की बीमारियाँ हो रही है;	बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 80 से 85 टन कचड़ा उत्पन्न होता है, जिसे सेक्टर–6 स्थित शास्त्री चौक एवं सेक्टर–11 स्थित पेट्रोल पम्प के बीच बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा चिन्हित भरणभूमि स्थल पर डाला जाता है। तत्पश्चात नियमित रूप से इस भरणभूमि का समतलीकरण किया जाता है। चास नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न कचड़ा का निष्पादन चास नगर निगम द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के उपरोक्त भरणभूमि स्थल पर नहीं किया जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र का उपरोक्त भरणभूमि आवासीय कॉलोनी से समुचित दूरी पर स्थित है, जिसके आस–पास के लोगों को प्रदूषण एवं बीमारी होने की संभावना लगभग नगन्य है।
2.	क्या यह बात सही है कि कंडिका–1 में वर्णित कचरे को वैज्ञानिक रूप से निस्तारण नहीं किया जा रहा है और न ही सेक्टर–6 एवं सेक्टर–11 के बीच कचड़ा डंपिंग यार्ड में कचड़ा निस्तारण हेतु प्लांट ही स्थापित किया गया है?	कंडिका–1 में वर्णित भरणभूमि के आस–पास बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा वृक्षारोपण किया गया है एवं इसके अलावे इस वर्ष लगभग 50000 संख्या में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है। बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र में उत्पन्न कचड़ा का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव का सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा चुकी है। चास नगर निगम क्षेत्र हेतु कचड़ा निस्तारण प्लांट का DPR मैसर्स चास ईंभाइरों प्रा० लि० द्वारा DPR तैयार कर स्वीकृति हेतु अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम ने अपने पत्रांक–516, दिनांक–22.02.2021 के द्वारा निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित किया है। इससे संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य हेतु बोकारो इस्पात नगर क्षेत्र के सेक्टर–12 स्थित ऑक्सीडेशन प्लांट के बगल में पर्याप्त जमीन है, जहाँ कचड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना करके उक्त कचड़े का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है और यह जमीन चास नगर निगम के निकट भी स्थित है?	अस्वीकारात्मक। सेक्टर–12 स्थित ऑकसीडेशन पौंड के पास जमीन आवासीय कॉलोनी एवं बोकारो एयर स्ट्रीप के पास स्थित है। अतः यहाँ पर कचड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना तकनीकी रूप से समुचित प्रतीत नहीं होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा बोकारो इस्पात क्षेत्र एवं चास नगर निगम द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न कचड़ा का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कंडिका–1 में वर्णित कचड़े का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करवाने हेतु कचरा निस्तारण प्लांट स्थापित करवाने एवं हो रहे प्रदूषण को तत्काल नियंत्रित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 08/तारा०/01/2021 न०वि०आ० 1058 राँची, दिनांक :– 15/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–164 दिनांक–23.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.3.21

सरकार के उप सचिव।

560

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–36

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड–शिकारीपाड़ा अनु0 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखंड–शिकारीपाड़ा के ग्राम–सिमानीजोर से ग्राम–मोहलबन्ना के बीच मोहलबन्ना नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि ग्राम–सिमानीजोर एवं ग्राम–मोहलबन्ना के बड़ी आबादी को आमदिनों व बरसातों में आवागमन में काफी तकलीफ उठाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा के ग्राम–सिमानीजोर से मोहलबन्ना के बीच आवागमन की समस्या से निजात के लिए मोहलबन्ना नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–28/2021/ग्रा0का0 549 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 517 वि0स0 दिनांक – 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–28/2021/ग्रा0का0 549 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–28/2021/ग्रा0का0 549 राँची, दिनांक– 05.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/21
सरकार के अवर सचिव

(561)

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री किशुन कुमार दास द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–25 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के इंटखोरी प्रखण्ड के मयूरहंड प्रखण्ड तक पथ निर्माण का कार्य चल रहा है। मयूरहंड से तेतरिया मोड़ तक 21 कि०मी० का पथ प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से स्वीकृत है, इस पथ की कुल लम्बाई 29 कि०मी० है, जिसमें 8 कि०मी० पर ही कार्य प्रारंभ हुआ है और मयूरहंड से तेतरिया मोड़ 21 कि०मी० शेष है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त रोड के जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होते रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि ईटखोरी प्रखण्ड से मयूरहंड प्रखण्ड में परोका कला से तिलरा पथ जिसकी लम्बाई–9.235 कि०मी० है की स्वीकृति PMGSY अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में प्रदान की गयी है। वर्त्तमान में कार्य प्रगति पर है। शेष पथांश के संबंध में मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–106 / 2021 ग्रा०का०मा० 689 राँची / दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–421, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–106 / 2021 ग्रा०का०मा० 689 राँची / दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–106 / 2021 ग्रा०का०मा० 689 राँची / दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

583

डॉ0, इरफान अंसारी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"ग्राम–52" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि मांडर विधान–सभा क्षेत्र के इटकी प्रखंड अंतर्गत इटकी साहेब मोड़ से चनगनी भाया त्रिविनाथा चौक टिकरा टोली तक (8.5km)सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है; 2. क्या यह बात भी सही है कि सड़क के निर्माण नहीं किए जाने से बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण अविलंब कराने का विचार रखतीहै, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, ईटकी सैनोटोनियम से मोरा–नारी–चंगनी पथ, (लंबाई–9.856 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग के अधीन है। जिसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य के लिए कार्यवाही प्रक्रियाअन्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–56 / 2021 1027(S) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 544दिनांक26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–56 / 2021 1027(S) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–56 / 2021 1027(S) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

564

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–24 का उत्तर –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा अनुमण्डल में महागामा बाजार समेत आस–पास के ग्रामों को जोड़कर महागामा नगर पंचायत का गठन कर दिया गया है, जिसमें अ०ज०जा० ग्राम–मनियामोर एवं गोविन्दपुर भी सम्मिलित है, जबकि अधिसूचित क्षेत्र की धारा 243ZC के तहत् नगर पंचायत, नगरपालिका इत्यादि अधिसूचित क्षेत्र में गठन नहीं किये जाने का प्रावधान है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि महागामा प्रखण्ड अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम मनियामोर अ०ज०जा० बाहुल्य गाँव से अन्य गाँव गोविन्दपुर, लतरिया मौजा के बीच आधा कि०मी० तक बीच में घनी आबादी है साथ ही महागामा बाजार के सटे लगातार आबादी वाले गाँव हरिणचारा, महुआरा बड़ी घनी आबादी को नहीं जोड़ा गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्राम हरिणचारा को महागामा नगर पंचायत में नहीं जोड़ा गया है। जबकि ग्राम महुआरा माल व महुआरा घाट को महागामा नगर पंचायत में जोड़ा गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ग्राम मनियामोर को नगर पंचायत से हटाने (अलग करने) एवं ग्राम–हरिणचारा एवं महुआरा को सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्राम मनियामोर को हटाने एवं ग्राम हरिणचारा को महागामा नगर पंचायत में शामिल करने की अनुशंसा जिला उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त होने पर सरकार द्वारा विधिवत् कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08/तारा०/09/ 2021 न०वि०आ० 1089 रॉंची, दिनांक–16/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–744 दिनांक–01.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल 16-03-2021
सरकार के अवर सचिव।

565

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–81

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाटन प्रखण्ड में 22 बड़े पंचायत होने के कारण विकास कार्य ससमय नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि किशुनपुर प्रखण्ड बनने की सभी अर्हता को पूरी करता है;	अस्वीकारात्मक प्रखण्डों के सृजन एवं गठन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग, झा0 राँची के संकल्प सं0–5495 दि0–16.10.2015 द्वारा किया गया है। उक्त के अनुसार– 1. प्रखण्ड सृजन हेतु आबादी कम–से–कम 1.25 अपेक्षित है, जबकि प्रस्तावित 10 पंचायतों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 60420 है। 2. प्रखण्ड के पुनर्गठन हेतु पंचायतों की संख्या–न्यूनतम 18 होना चाहिए परन्तु प्रस्तावित पंचायतों की संख्या–10 है। 3. नये प्रखण्ड सृजन हेतु पंचायत समिति, जिला परिषद् की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त नहीं है। अतएव प्रश्नाधीन किशुनपुर प्रखण्ड सृजन हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाटन प्रखण्ड से 10 पंचायतों को अगल कर किशुनपुर को प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

झापांक–4–वि0स0–10/2021/ग्रा0वि0 1044 **राँची, दिनांक–**15·03·2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके झाप–1095 दिनांक–08.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

सरकार के अवर सचिव।

झापांक–4–वि0स0–10/2021/ग्रा0वि0 1044 **राँची, दिनांक–**15·03·2021

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/21

सरकार के अवर सचिव।

झापांक–4–वि0स0–10/2021/ग्रा0वि01044 **राँची, दिनांक–**15·03·2021

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/21

सरकार के अवर सचिव।

46

श्री अमित कुमार मण्डल, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–60" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत दो–मुँही से बसंतराय एवं वीर कुँवर सिंह चौक से लेकर चाँदनी चौक P.W.D सड़क अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है ; 2. क्या यह बात सही है कि वर्णित दोनों सड़क C.D.O में लंबित है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति का आदेश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ (i) दुमुही (गोड्डा–पीरपैंती मेन रोड) से बसंतराय पथ (कुल लंबाई–21.05 कि०मी०) पथ निर्माण विभाग के अधीन है। (ii) जबकि वीर कुंवर सिंह चौक से चांदनी चौक (कुल लंबाई–11.05 कि०मी०) ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत है। (i) दुमुही (गोड्डा–पीरपैंती मेन रोड) से बसंतराय पथ की आवश्यक मरम्मति का कार्य वर्ष 2019–20 में कराया गया है तथा भविष्य में निधि की उपलब्धतानुसार पथ की आवश्यक मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जाएगा। (ii) वीर कुंवर सिंह चौक से चांदनी चौक ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) अंतर्गत है। पथ को मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–63/2021 1034(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1209 दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–63/2021 1034(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–63/2021 1034(S) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

567

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–47" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला मेदिनीनगर के चियाकि मोड़ (N.H-75)से चान्दो पथ में कोयल नदी पर सेतु (पुल) एवं पहुँच पथ नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों का आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है तथा अधिक दूरी तय कर चैनपुर प्रखण्ड होते हुए डालटनगंज के शहरी क्षेत्रों में बाजार–हाट, चिकित्सा आदि कराने पहुँचते है;	प्रश्नगत पथ, पथ निर्माण विभाग स्वामित्व अधीन नहीं है। इस पथ का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्षात के दिनों में इन्हें चिकित्सा एवं उपचार हेतु राँची जाने के लिए भी काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे मरीज का समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण मृत्यु हो जाती है;	पहुँच पथ एवं पुल का निर्माण संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
3. क्या यह बात सही है कि वर्णित सेतु एवं पथों के निर्माण के संदर्भ में कार्यपालक अभियन्ता योजना क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, राँची को पत्रांक–219 (अनु0), दिनांक–08.03.2018 के आलोक में विवर्णित योजना के कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 40,57,42,000 (चालीस करोड़, सत्तावन लाख, बेयालीस हजार) की तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जो लम्बित है;	
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लम्बित प्राक्कलन की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–52 / 2021 1023(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 900दिनांक03.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–52 / 2021 1023(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–52 / 2021 1023(5) राँची / दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

568

दिनांक–17.03.2021 को माननीय स०वि०स० श्री निरल पुरती द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ–11 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मझगाँव चौक से धोबा–धोबिन खरपोश चौक होते हुए उड़ीसा सीमा तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिसके कारण आम जन–जीवन काफी प्रभावित है तथा लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ;	आशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन पथ के पथांश जिसकी लं0–11.44 कि0मी0 है का सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य संपोषित योजना के तहत् कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ के पथांश धोबा–धोबिन से बेनीसागर भाया तरतरिया मागापाठ खड़पोश तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य संपोषित योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। शेष पथांश के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121/2021 ग्रा0का0मा0 685 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, ज्ञा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–274, दिनांक–28.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121/2021 ग्रा0का0मा0 685 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–121/2021 ग्रा0का0मा0 685 राँची/दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि–प्रशासा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.21
सरकार के अवर सचिव।

57

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–59" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा शहर में बाय–पास सड़क के निर्माण हेतु भू–अर्जन विभाग के द्वारा अभियाचना की गई है। 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा शहर के बाय–पास सड़क निर्माण बजटीय उपबंध कर सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा शहर में बाय–पास का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) की परियोजना है। उक्त प्राधिकार द्वारा भू–अर्जन के निमित्त कार्रवाई की गई है तथा वर्ष 2021–22 में NHAI (MORT&H) द्वारा कार्य आवंटन की संभावना व्यक्त की गई है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–62 / 2021 1033(5) राँची / दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1207 दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–62 / 2021 1033(5) राँची / दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–62 / 2021 1033(5) राँची / दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

S71.

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–83

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड का सुदूरवर्ती पंचायत चतरोचट्टी केकैया नदी नावाघाट ग्राम–पंचायत हुरलूंग के नरकंडी पन्नाटाड के कोनी नदी बड़की सिधावारा पंचायत के बड़की सिधावारा और बेंदी के केकैया नदी, चिदरी पंचायत के नवडंडा और दनरा के बीच करी पंचायत के कजरकिलो के कोनार नदी, बड़की सिधावारा पंचायत के खखन्दो नाला, चुटे पंचायत के ग्राम–चूटे शास्त्री नगर और तुइयो के बीच नदी एवं सिधावारा पंचायत के नवाडीह आदि स्थानों पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयाँ हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड के उपर्युक्त पुल–पुलियों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–41/2021/ग्रा0का0 681 राँची, दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 – 1210 वि0स0 दिनांक – 10.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–41/2021/ग्रा0का0 681 राँची, दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–41/2021/ग्रा0का0 681 राँची, दिनांक– 16.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21
सरकार के अवर सचिव

572

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 28 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के तिलोकरी में पेय जलापूर्ति योजना का उद्घाटन दिनांक– 29.12.2020 को सम्पन्न हुआ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गयी है, जिस कारण पानी टंकी में रिसाव होने लगा है और इंटेक वेल में पानी का लेयर भी नीचे चला गया है;	तिलोकरी पानी टंकी के Distribution Main के Sluice Valve में मामूली खराबी होने के कारण पानी का रिसाव हो रहा था। जिसे मरम्मति कर पानी का रिसाव बंद कर दिया गया है। पानी टंकी निर्माण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर Cube Test कराया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। तिलोकरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत Intake well का निर्माण बराकर नदी में किया गया है। बराकर नदी से बालू का उठाव होने के कारण जलस्तर नीचे चला गया है। परन्तु Infiltration gallery के द्वारा प्राप्त पानी से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त योजना के निर्माण कार्य में बरती गयी घोर अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–156/2020– 985 राँची, दिनांक :– 16/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1203, दिनांक– 10.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी) –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–156/2020– 985 राँची, दिनांक :– 16/3/21

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी) –
सरकार के अवर सचिव।

15.03.2021

573

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 25 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छत्तरपुर अनुमण्डल को अस्तित्व में आने के 26 वर्ष बाद भी अनुमण्डल मुख्यालय में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है;	वर्तमान में शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की योजना का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा देवरी नदी (सोन नदी) से पाईपलाईन के द्वारा अनुमण्डल मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति का कार्य 6–7 वर्ष पूर्व चालू किया गया है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अनुमण्डल मुख्यालयवासी के लोग आज भी शुद्ध पेयजल को तरस रहे है;	छत्तरपुर एवं आसन्न ग्रामों में जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु दिनांक– 09.02.2017 को संवेदक SMS Paryavaran Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित कर एकरारनामा किया गया था। परन्तु संवेदक के द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा समाप्त (Resigned) कर दिया गया। पुनः दिनांक– 22.10.2018 को संवेदक RPP Infra Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित किया गया है। कोविड–19 महामारी में लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छत्तरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–155/2020– 987 राँची, दिनांक :– 16/3/21
प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–927, दिनांक–04.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–155/2020– 987 राँची, दिनांक :– 16/3/21
प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

6
16.03.2021

574

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–78 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय, स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि रॉची जिला के बुढ़मू प्रखण्ड अन्तर्गत बुढ़मू उमेडण्डा मुख्य पथ से उमेडण्डा चैनगाढ़ा, गम्हरिया घाटी होते हुए पलानी (पतरातु रामगढ़) जिला तक की 10 कि0मी0 की सड़क के किनारे दर्जनों अनुसूचित जनजाति बहुल गाँव बसे है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ की स्थिति काफी जर्जर है, इसके बावजूद बड़े पैमाने पर किसान, व्यापारी एवं यात्रीगण अपने कार्य एवं व्यवसाय हेतु पतरातु न्यू मार्केट जो रामगढ़ जिला में है हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन आवागमन करते हैं जिसके कारण बराबर दुर्घटना होती रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर, विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–104/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 684 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1014 दिनांक–06.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–104/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 684 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–104/2021 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 684 राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21
सरकार के उप सचिव।

(575)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–61" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के 75 NH बीसफूटा पुल से चेराबार, नरसिंहपुर पथरा भाया पुरानाडीह लिंक पथ चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य का प्राक्कलन प्रशासनिक अनुमोदन हेतु लंबित है ? 2. क्या यह बात सही है कि उल्लिखित पथ गढ़वा जिला एवं कई पंचायत को जोड़ती है ? 3. क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए उक्त पथ के बीच पड़ने वाली कोयल नदी पर पुल बनाया गया है, परन्तु पथों के अभाव में यह बेकार पड़ा हुआ है ? 4. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए जनहित में 75 NH बीसफुटा पुल से चेराबार, नरसिंहपुर पथरा भाया पुरानाडीह लिंक पथ की प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में यह पथ, 75–NH बीसफूटा पुल से चेराबार, नरसिंहपुर पथरा भाया पुरानाडीह लिंक पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। पुल का एक सिरा पहुंच के माध्यम से NH-75 को सम्पर्क करेगा। उक्त मार्ग में रेलवे लाईन है। जिस पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु स्वीकृति के निमित्त कारवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार मार्ग रेखांकण पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 एवं पहुंच पथ समन्वय तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक है। इस प्रकार आर0ओ0बी0 (डालटेनगंज–राजहरा स्टेशन के बीच)के निर्माण के साथ पहुंच पथ का निर्माण कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–64/2021 1035(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1206 दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–64/2021 1035(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–64/2021 1035(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(576)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–30 का उत्तर–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद के गोल बिल्डिंग चौराहा से कौको मठ तक लगभग 20 कि०मी० सड़क विश्व बैंक से ऋण लेकर लगभग 419 करोड़ में बनाई जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्य पूरे होने के पूर्व ही लगभग 6 माह तक इस सड़क के कार्य को सरकार के द्वारा बंद करा दिया गया था और अब इसका कार्य पुनः चालू हो गया है;	वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के पुनः निर्धारण के आलोक में उक्त परियोजना के क्रियान्वयन को दिनांक–18.06.2020 से 27.11.2020 तक स्थगित किया गया था। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 17.86% एवं वित्तीय प्रगति 17.74% है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार काम बंद होने से हुए नुकसान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5 / न०वि० / वि०स० तारांकित–24 / 2021 1072 राँची, दिनांक– 16/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–1008 दिनांक–06.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(577)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न0–09 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 02 लाख निर्मित मकान ऐसे हैं जिसका नक्शा संबंधित नगर निकाय तथा राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बी०पी०ए०एम०एस० (बिल्डिंग प्लान ऐपरूभल मैनेजमेन्ट सिस्टम) अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक–16.03.2021 तक कुल 13049 प्राप्त आवेदनों में से 9728 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है एवं 2423 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के अधिसूचना संख्या–4014, दिनांक–27.09.2019 द्वारा वर्णित मकानों के नियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र फॉर्म में लोगों से आवेदन की माँग की गई थी तथा उक्त फॉर्म के जमा करने की निर्धारित समय–सीमा दिनांक–27.03.2020 तय की गई थी;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित अधिसूचना के आलोक में राज्य के कई लोगों ने संबंधित नगर निकाय एवं राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन तो ले लिए, परन्तु दिनांक–23.03.2020 से कोविड–19 के बढते प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन किये जाने के कारण सैकड़ों लोगों ने अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाये, जिसके कारण लोग उक्त सुविधा के लाभ से वंचित रह गये हैं;	कोविड–19 के बढते प्रभाव के कारण राज्य में लॉकडाउन दिनांक–23.03.2020 से प्रभावी किया गया था। स्पष्ट है कि मात्र 04 कार्य दिवस लॉकडाउन के कारण इस योजना को प्रभावित किया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में संबंधित लोगों का उक्त फॉर्म जमा लेने हेतु पुनः समय–सीमा के निर्धारण का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक में पुनः समय सीमा निर्धारण का कोई औचित्य नही है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/वि०स०/ता०प्र०/03/2021/न०वि०आ० 1082 राँची, दिनांक– 16-03-2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा०सं०प्र०–280, दि०–24.02.2021 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
सरकार के संयुक्त सचिव।

578

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–55" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि सारठ से नागरी, मितरा, पोलोजोरी, जामताड़ा पथ मरम्मति के अभाव में जर्जर हो चुकी है;	प्रश्नगत पथ, सारठ–बरसी–पालाजोरी पथ (लंबाई–27.50 कि0मी0), पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त PWD पथ की मरम्मति का DPR की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है ;	इस पथ पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवश्यक मरम्मति कराई गई है तथा भविष्य में निधि की उपलब्धतानुसार पथ की आवश्यक मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जाएगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष–2021–22 में उक्त पथ की मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–58/2021 1029(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1009दिनांक06.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–58/2021 1029(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–58/2021 1029(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYSप्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।